


10/12/25

पत्रावली पेश हुई। अधीगण व उनके वकील
अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन
बार आवाजे लगाई गई बावजूद अधीगण व उनके
वकील गैर हाजिर रहे। अतः पत्रावली गैर हाजिरी
खम-खम पेशी में खारिज हो जाती है। पत्रावली
फैसल अंगार लेकर जिले दफ्तर से खम नम्बर
ले कम ले।


उपखण्ड अधिकारी
नौहवन

